दिनांक 22.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 27/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गौतमबुद्वनगर/थाना सेक्टर 39

- **लूट की घटना अनावरण**
- **03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार**
- **लूट के 85,000 रू0 नगद, 04 मोबाइल फोन**
- **लूट के केडिट कार्ड से शापिंग के 03 लाख 17 हजार रू0 कीमत के सामान**
- **घटना में प्रयुक्त 02 कार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.09.2019 की सायं थाना सेक्टर 39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेट्रो लाइन सेक्टर 44 के पास से तीन शातिर लुटेरे 1–डेविड शर्मा 2–मो0 सादिक 3–राशिद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे/निशादेही से लूट के 85,000 रू0 नगद, 04 मोबाइल फोन, लूट के केडिट कार्ड से शापिंग के 03 लाख 17 हजार रू0 कीमत के सामान,घटना में प्रयुक्त 02 कार, 01 तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो आम जनता को सवारी के रूप में बैठाकर डरा घमकाकर उनका सामान मोबाइल फोन, केडिट कार्ड, एटीम कार्ड आदि लूटकर उससे पैसे निकाल लेते है तथा केडिट कार्ड के माध्यम से माल व दुकानों से सामान की खरीददारी करते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूक्ष्द्व लूट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्तों द्वारा जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्वनगर, दिल्ली आदि से कई घटनाओं कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना थाना सेक्टर 39 पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–डेविड शर्मा निवासी सी 103 गली नं0 3 फेस 2 थाना करावलनगर दिल्ली।

2–मो0 सादिक निवासी आजमगढ़ उर्फ रतनगंढ़ थाना सिवालाकला जनपद बिजनौर।

3–राशिद निवासी आजमगढ़ उर्फ रतनगंढ़ थाना सिवालाकला जनपद बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1– लूट के 85,000 रू0 नगद, 04 मोबाइल फोन

2–लूट के क्रेडिट कार्ड से शापिंग के 03 लाख 17 हजार रू0 कीमत के सामान

3–घटना में प्रयुक्त 02 कार

4–01 तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस

<u>जनपद बागपत/थाना खेकड़ा</u>

- **03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार**
- **लूट के 60 हजार 800 रू0 नगद**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, 01 देशी बन्दूक 12 बोर, 03 कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.09.2019 को थाना खेकड़ा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डोला मार्ग से तीन शातिर लुटेरों 1–विक्की उर्फ विक्रान्त 2–हरेन्द्र उर्फ हरिया 3–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 60 हजार 800 रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, 01 देशी बन्दूक 12 बोर, 03 कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2019 को वादी की सूचना पर लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 377/19 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विक्की उर्फ विक्रान्त निवासी पट्टी मुण्डाला थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2–हरेन्द्र उर्फ हरिया निवासी पट्टी मुण्डाला थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3–अमित निवासी काशीराम कालोनी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 60 हजार 800 रू0 नगद
2–01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस
3–01 देशी बन्दूक 12 बोर, 03 कारतूस
4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 15 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 21.09.2019 को सायं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहननगर के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश कुनील ग्वाला घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 15 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2019 को थाना साहिबाबाद पर लूट की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1956/19 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त लूट की घटना सहित अन्य कई लूट की घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुनील ग्वाला निवासी ग्राम चूड़ी पट्टी थाना किशनगंज जनपद किशनगंज बिहार।

बरामदगी

1–लूट के 15 हजार रू0 नगद, 01 तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 मोबाइल फोन
2–घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **60 लाख रू0 कीमत की 200 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 22.09.2019 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मियापुर तिराहे से मिठवारा रोड के पास से मादक पदार्थ तस्कर मो0 असलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 60 लाख रू0 कीमत की 200 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो पर गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 असलम निवासी मिठवारा थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–60 लाख रू0 कीमत की 200 ग्राम अवैध मारफीन

<u>जनपद मथुरा/थाना सदर बाजार</u>

<u>25—25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित दो अपराधी गिरफ्तार</u>

दिनांक 22.09.2019 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईगल ग्राउन्ड के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी 1—बीरू उर्फ बी0के0 उर्फ बीरेन्द्र 2—चन्दु उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रमोहन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जो थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/19 धारा 364ए भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बीरू उर्फ बी0के0 उर्फ बीरेन्द्र निवासी आर0के0 पुरम द्वितीय थाना हाईवे जनपद मथुरा।

2—चन्दु उर्फ चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रमोहन उर्फ मुन्ना निवासी पालीखेड़ा सौंख रोड थाना हाईवे जनपद मथुरा।

<u>जनपद बरेली/थाना भमौरा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 22.09.2019 को थाना भमौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम राजूपुर से रम्पुरा अलीगंज मार्ग के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश आमीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद फतेहगढ़, कन्नौज, बरेली जनपद के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 227/19 धारा 395 भादवि के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भमौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आमीन निवासी ग्राम गुलपड़ी पीपलथाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1– तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस

<u>जनपद अमरोहा/थाना सैदनगली</u>

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी सहित कुल दो अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21/22.09.2019 की रात्रि थाना थाना सैदनगली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ढक्का नहर पुल के पास बदमाशों की घेराबंदी कर पुलिस कार्यवाही के उपरान्त पुरस्कार घोषित अपराधी महरूम सहित अन्य अपराधी महफूज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद मुजफ्फरनगर, अमरोहा के विभिन्न थानो पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त महरूम थाना अमरोहा

देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2233/10 धारा 394,302,411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैदनगली पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महरूम निवासी ग्राम बगियावाला थाना भोजपुर मुरादाबाद। हालपता डेरा शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास शंकरपुर पूर्वी दिल्ली।
2—महफूज निवासी डेरा शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास शकरपुर पूर्वी दिल्ली।

बरामदगी

1—01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 22.09.2019 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पगरा मोड़ के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी सीताराम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सीताराम निवासी चकमिश्रौली सर्फूद्दीन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना दनकौर

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जीवित कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 21.09.2019 को सायं थाना दनकौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेन रोड ननुआ का राजपुरा चौराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की

घेराबंदी कर पुलिस कार्यवाही के उपरांत पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष उर्फ महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जीवित कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। मौके से एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किय जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो पर लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना दनकौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 982/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दनकौर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष उर्फ महेन्द्र निवासी ग्राम रोशनपुर थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्वनगर।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिखेडा

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 21.09.2019 को सायं थाना सिखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जौली मुजफ्फरनगर रोड पर भण्डूर के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी कलीम उर्फ बिहारी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना सिखेडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कलीम उर्फ बिहारी निवासी ग्राम निराना थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2–01 मोटरसाइकिल

जनपद सम्भल/थाना नखासा

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के ट्रैक्टर पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 21.09.2019 की सायं थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रायसत्ती खेड़ा जाय बस अड्डे के पास से दो शातिर चोरों 1–मो0 अनस 2–कामिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के ट्रैक्टर के इन्जन–20, रिम–50, पिछला एक्सल–85, अगला एक्सल–14, टायर पुराने–12, मडगार्ड–25, गेयर बाक्स–12, चेसिस–22 वोनट–22 व भारी मात्रा में ट्रैक्टर पार्टस आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने चोरी के ट्रैक्टर कम दामो पर खरीद कर उनके पार्टस निकालकर ग्राहक मिलने पर अधिक कीमत पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना नखासा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–1–मो0 अनस निवासी मोहल्ला हातिम सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

2–कामिल निवासी मोहल्ला दीपासराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–इन्जन–20, रिम–50, पिछला एक्सल–85, अगला एक्सल–14

2–टायर पुराने–12, मडगार्ड–25, गेयर बाक्स–12, चेसिस–22 वोनट–22

3–भारी मात्रा में ट्रैक्टर पार्टस आदि

एसटीएफ : लूट व डकैती की दो बड़ी घटनाओं को कारित करने से पूर्व घटना करने वाले गिरोह के 04 शातिर अपराधियों को एस0टी0एफ0 ने किया गिरफ्तार।

दिनाकः 21–09–2019 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई प्रयागराज टीम को लूट व डकैती की बड़ी घटना को कारित करने से पूर्व घटना करने वाले गिरोह के 04 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अनिल कुमार पुष्कर पुत्र प्रेमचन्द्र नि0 सरांय बीका थाना पवांरा, जनपद जौनपुर हाल पता काच्रटनमिल तिराहा नैनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

2– मंजीत भारतीया उर्फ पचल्ला पुत्र बांकेलाल नि0 सैदपुर थाना करैली, जनपद प्रयागराज।

3– धर्मेन्द्र उर्फ गैंडा भारतीय पुत्र रामचन्द्र नि0 सैदपुर थाना करैली, जनपद प्रयागराज।

4– गोलू भारतीय पुत्र मदन नि0 तलईया थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।

फरार अभियुक्तः–

1– अंकित प्रजापति पुत्र मंगलाप्रसाद नि0 दक्षिणी लोकपुर, कोइराना बस्ती थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।

<u>बरामदगी:—</u>

1— 03 अदद तमन्चा 315 बोर
2— 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3— 01 अदद मारूति कार
4— रू0 1,350/— नगद
5— 01 अदद आधार कार्ड

विगत काफी दिनों से पुरस्कार घोषित, वांछित अपराधियों के सक्रिय होकर लूट, डकैती व हत्या, आदि कार्यो में लिप्त होने की सूचनाएं एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न ईकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। इसी क्रम में श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, वाराणसी/प्रयागराज यूनिट के निर्देषन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार पाण्डेय तथा पुलिस उपाधीक्षक, श्री नवेन्दु कुमार के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई प्रयागराज के निरीक्षक श्री केशव चन्द्र राय व श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में आरक्षीगण पंकज तिवारी व मो0 हबीब सिद्दीकी के द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनाक 21—09—2019 को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कि लूट व डकैती की किसी गम्भीर घटना को अन्जाम देने के उद्देश्य से कुछ शातिर बदमाश जनपद प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के इरादतगंज स्थित परेड मैदान के पास कहीं जाने की फिराक मे इकट्ठा होने वाले है। इस सूचना को विकसित करते हुए एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर उपरोक्त स्थान पर पहॅुच कर घेरा बन्दी कर अभियुक्तों को न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग कर समय 20:50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अलग—अलग तथा संयुक्त रूप से कड़ाई से पूंछताछ करने पर अभियुक्त अनिल पुष्कर द्वारा बताया गया कि वह मूलरूप से जनपद जौनपुर का रहने वाला है तथा प्रयागराज के नैनी में अपने ससुराल में रहकर ढ़ाबा चलाने का काम करता है। चूॅकि ढाबों पर अक्सर कीमती माल लदे ट्रकों के ड्राइवरों का खाना—पीना व रूकना होता है। इन कीमती सामान लदे ट्रको को देखकर अभियुक्त अनिल के मन में लालच आ गया तथा इन्हें लूटने की योजना बना ली। टायरों का कारोबार करने वाले करीम भाई नि0 मुस्तफाबाद थाना सुजानगंज, जनपद जौनपुर से पुरानी जान

पहचान होने व बात हो जाने के बाद अनिल द्वारा कानपुर की तरफ से अपोलो/एमआरएफ ट्यूबलेस टायर लदे ट्रक को अपने साथियों अंकित, मंजीत उर्फ पचल्ला, गोलू तथा धर्मेन्द्र उर्फ गेंडा के साथ मिलकर लूटना था। लूटे हुये ट्रक को करीम भाई के पास जौनपुर पहुॅचाना था, जिसके एवज में करीम भाई द्वारा 20 हजार रूप्या प्रति जोड़ा टायर के हिसाब से मिलना था। आगे पूछतांछ पर अभियुक्त अनिल व गोलू ने बताया कि मौके से फरार अभियुक्त अंकित ने अपने घर के आसपास एडीए कालोनी मे रहने वाले एक सर्राफा व्यवसायी के मकान की रेकी किया था, जिसकी चौक स्थित सोने चांदी की दुकान भी है। उसके बताये अनुसार सर्राफा व्यवसायी के घर मे तीन महिलाओं सहित 06 व्यक्तियों की मौजूदगी रहती है। सर्राफा व्यवसायी के घर में घुसकर डकैती डालने की घटना को, ट्रक लूटने की घटना को अंजाम देने के बाद करना था। गिरफ्तार अभियुक्त मंजीत भारतीया उर्फ पचल्ला उपरोक्त ने बताया कि अपने दोस्त जितेन्द्र नि0 सैदपुर करैली, जनपद प्रयागराज व उसके एक दोस्त के साथ मिलकर जनपद कौशम्बी में दो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 522/2019 धारा 399/402 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 523, 524, 525 व 526 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज में पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ गेंडा भारतीया नि0 सैदपुर थाना करैली, जनपद प्रयागराज का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है तथा इस अभियुक्त व अन्य गिरफ्तार अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	472/17	307/120बी भादवि	धूमनगंज	प्रयागराज
2	407/18	4/5 विस्फोटक अधिनियम	धूमनगंज	प्रयागराज